<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 136/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/531

1. अक्षय राव पुत्र जयसिंह राव जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी– 1/2. सी. ए.डी. कॉलोनी, दादाबाड़ी, कोटा, त. कोटा, जिला–कोटा (राज.)।

................प्रार्थी

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र मोहन जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
2. दलु पत्नी मोहन जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
3. फतहसिंह पुत्र रतनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– जावड, बावड़ी, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
4. गंगाबाई पुत्री नाना जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
5. दाकुबाई पुत्री नाना जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
6. हरिराम पुत्र नाना जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
7. प्रथ्वा पुत्र उदा जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
8. भमरू पुत्र उदा जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
9. कृष्ण पुत्र उदा जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
10. धापु पत्नी नाराण जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
11. नबु पुत्री नाराण जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
12. प्यारी पत्नी नाराण जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
13. शान्ता पुत्री नाराण जी जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
14. इन्द्रलाल पुत्र रामकिशन जी जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
15. गणेशलाल पुत्र डालचन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

16. छगनलाल पुत्र डालचन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी— जावड़, त. घासा, जिला—उदयपुर (राज.)
17. प्रकाश पुत्र भंवरलाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला—उदयपुर (राज.)
18. रमेश पुत्र भंवरलाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी— जावड़, त. घासा, जिला—उदयपुर (राज.)
19. ग्राम पंचायत जावड़, त. घासा, जिला—उदयपुर
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार घासा, जिला—उदयपुर (राज.)
21. पटवारी पटवार हल्का जावड़ त. घासा, जिला—उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जावड़, पटवार हल्का जावड़, त. घासा, जिला—उदयपुर (राज.) में स्थित आराजी सं. 689 रकबा 1.6026 हेक्टर एवं आराजी सं. 5553/689 रकबा 1.6106 हेक्टर कृषि भूमि जो प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य से दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्तआराजीयात भूमि के पड़ौस में आराजी संख्या 5489/688 रकबा 1.3678 हेक्टर खातेदार विपक्षी सं. एक से तीन के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, इसी प्रकार आराजी सं. 696 रकबा 1.8777 हेक्टर कृषि भूमि खातेदार विपक्षी सं. चार से छः के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं, इसी प्रकार आराजी सं. 695 रकबा 0.9470 हेक्टर कृषि भूमि विपक्षी सं. सात से नो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, इसी प्रकार आराजी सं. 693 रकबा 0.9712 हेक्टर कृषि भूमि खातेदार विपक्षी सं. दस से तेरह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, इसी प्रकार आराजी सं. 690 रकबा 6.3293 हेक्टर कृषि भूमि खातेदार विपक्षी सं. चौदह से अठारह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। इसी प्रकार आराजी सं. 1614 रकबा 2.8085 हेक्टर चारागाह केयर टेकर विपक्षी सं. उन्नीस के नाम दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की आराजीयात खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं की निशानदेही नहीं होने से प्रार्थी अपनी सीमाओं की तारबंदी, बाउण्ड्री का काम नहीं करवा पा रहा है। सीमाओं की निशानदेही के लिए विपक्षीगणों से निवेदन किया तो सरकारी आदेश लाने को कहा गया। जिससे मौके पर [illegible] विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी व अपनी सरहद की असुरक्षा हो रही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि उपरोक्तआराजीयात की चारों दिशाओं की सीमाओं के सरहद की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी खातेदारी राजस्व रेकर्ड के अनुसार पत्थरगढ़ी कराने का भी अधिकारी है। जिससे मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो किसी प्रकार का कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हो प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हो जाने पर प्रार्थी अपनी सरहद पर दीवारे बनवाये ताकि उसे आर्थिक नुकसान भी नही हो। प्रार्थी का उक्त मामला प्रईमाफेसी केस है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिस से किसी भी अन्य पक्षकारान को कोई क्षति होने की संभावना नही है पत्थरगढ़ी नही होने से प्रार्थी को जो अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसो में नहीं किया जा सकता है सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.11.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगणों को पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा तो मौके पर सीमा विवाद होना बताकर सरकारी आदेश से पत्थरगढ़ी कराने को कहा गया तभी से प्रार्थनापत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी सं. 689 एवं आराजी सं. 5553/689 के चारों दिशाओं पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण सरहद की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाने की महती कृपा करें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 20, 21 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 6 के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 6 फौत हो जाने से इसके साथ कोई सीमा विवाद नहीं हैं केवल मात्र जमाबन्दी में इनका नाम होने से इनको पक्षकार बनाया गया था। इसलिए प्रार्थी इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमाई जाकर प्रार्थी की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावे।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ही विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप [illegible] जाती हैं। मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा जिला उदयपुर [illegible]कल जमाबंदी संवत 2077–80 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pinadia
Date: 2025.01.31 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 520 पर दर्ज आराजी नम्बर 689 रकबा 1.6026 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 519 पर दर्ज आराजी नम्बर 5553/689 रकबा 1.6106 हैक्टर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 520 पर दर्ज आराजी नम्बर 689 रकबा 1.6026 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 519 पर दर्ज आराजी नम्बर 5553/689 रकबा 1.6106 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
8. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:49 IST
Reason: SelfAttested